an>

Title: Need to check illicit trade of meat in Saharanpur district, Uttar Pradesh.

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : मैं सरकार का ध्यान पश्चिमी उत्तर में फैले मीट के अवैध व्यापार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश मीट के अवैध व्यापार का गढ़ बन चुका है। विशेष रूप से जनपद सहारनपुर में मीट का अवैध व्यापार चरम पर है जिस कारण हजारों पशु प्रतिदिन जनपद में काटे जा रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या दुधारू पशुओं की भी होती है जिनमें गोवंश का कटान भी भारी मात्रा में प्रतिदिन किया जा रहा है जिस कारण जनपद में साम्प्रदायिक टकराव की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। सहारनपुर में पशुकटान के लिए नगर में स्लाटर हाउस को केवल 100 भैंस प्रतिदिन एवं जनपद के गंगोह कस्बे में नगर पालिका द्वारा अनुमोदित स्लाटर हाउस में 100 भैंस प्रतिदिन व जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित स्लाटर में 200 भैंस प्रतिदिन एवं ग्राम हरोडा स्थित एलम इन्डस्ट्री लिमिटेड नामक स्लाटर इकाई को 650 पशु प्रतिदिन कटान की अनुमति है। कस्बा गंगोह के दो स्लाटर हाउस एवं सहारनपुर नगर के एक स्लाटर हाउस को मीट परिवहन की अनुमति नहीं है अर्थात ये तीनों स्थल केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही पशु कटान के लिए अधिकृत हैं किन्तु हजारों पशु प्रतिदिन काटे जाने के परिणामस्वरूप यहां से सैकड़ों मीट के ट्रक जनपद से बाहर गाजियाबाद आदि स्थित मीट की निर्यात इकाई को भेजा जाता है जो पशु कटान पर सरकार को मिलने वाले 60 रूपए प्रति पशु के राजस्व का भी सीधा-सीधा नुकसान है। ग्राम हरौडा स्थित एक इकाई भी अपने 650 पशु प्रतिदिन की संख्या से कई गुना अधिक पशु प्रतिदिन कटान करती है जिस कारण इकाई के आस-पास के ग्रामों का भूगर्भ जल भी प्रदूषित हो चुका है और ग्रामीण अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अनुमति से अधिक पशु कटान का प्रमाण इस फर्म में दर्शाए गए अपने वार्षिक टर्न ओवर 500 करोड़ रूपये के रूप में भी मिल जाता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में हो रहे इस अवैध पशु कटान पर रोक लगाने के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए।